3483 23/7/13 4252 22/8/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत
भूमि विवाद वाद संख्या–15/2013–14
महेश साहु बनाम शिवनारायण साहु एंव 3 अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदक महेश साहु पिता–स्व0 बौकु साहु ग्राम–धनौली थाना–बहेड़ी जिला–दरभंगा के वाद पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए दिनांक–05.04.2013 को कायम की गई है। इस वाद में विपक्षी के रूप में (1) शिवनारायण साहु (2) देव नारायण साहु (3) मिथिलेश साहु एंव (4) अमरनाथ साहु चारों पिता–स्व0 बौकु साहु ग्राम–धनौली थाना–बहेड़ी जिला–दरभंगा के निवासी है। इस वाद को आवेदक ने निम्नांकित पैतृक जमीन का बँटवारा का बँटवारा कर सीमांकन करने वो सीमा को पीलर द्वारा चिन्हित करने वास्ते दायर किया है:– मौजा – धनौली, थाना+अंचल– बहेड़ी जिला– दरभंगा में अवस्थित।	

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
91 पुराना 730 नया	591 पुराना 1243 नया	01 कट्ठा दखल 07 धुर	उत्तर – रामपुकार मंडल एंव रामजीवन साह द0 – गणेश मंडल वगैरह पू0 – सड़क प0 – गणेश मंडल वगैरह
51 पुराना 730 नया	580 पुराना 1205 नया	$19^{1/2}$ धुर	उत्तर – नीज द0 – शैलेन्द्र मंडल पू0 – मंगल मंडल वगैरह प0 – सड़क
15 पुराना 730 नया	581 पुराना 1205 नया	14 धुर	उत्तर – दुखन साह वगैरह द0 – नीज पू0 – कस्तुरी मंडल वगैरह प0 – सड़क
15 पुराना 730 नया	532 पुराना 1286 नया	10 ड्ठा, 01 धुर	उत्तर – वैजू यादव वगैरह द0 – रघुनाथ मंडल वगैरह पू0 – सड़क प0 – गणेश यादव वगैरह

आवेदक द्वारा दाखिल वाद पत्र के आलोक में विपक्षीयों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, विपक्षीगण उपस्थित हुए तथा अपनी ओर से लिखित बयान। प्रतिउत्तर सह आपत्ति–पत्र दाखिल किए है। आवेदक ने अपने वाद पत्र के साथ रैयती खतियान खाता न0– 730 बनाम बौकु साह के नाम का दाखिल किया

17/08/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	है। उभय पक्षों के दावे–प्रतिदावे पर सुनते हुए वाद की विधिवत् सुनवाई दिनांक–12.07.2013 को पूर्ण की गई है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुना। विदित होता है कि उभय पक्ष आपस में खास सहोदर भाई है। आवेदक का कहना है कि इनके पिता अपने जीवन काल में ही अपने पाँचों पुत्रों के बीच पैतृक जमीन का बँटवारा कर दिये जिसके मुताबिक सभी भाई अपने–अपने हिस्से की जमीन पर दखल कब्जा पाकर शांतिपूर्वक जोत आबाद वो अपने–अपने सुविधानुसार उपयोग करते आ रहे है। परन्तु विपक्षीगण के द्वारा जमीन के छेड़छाड़ करने वो पिता द्वारा सीमांकित आर (मेढ़) को नष्ट कर दिया गया जिससे किसी भाई के हिस्से में कम तो किसी के हिस्से में अधिक जमीन है जिससे हमेशा वाद विवाद की संभावना बनी रहती है। आवेदक का यह भी कहना है कि आवेदक द्वारा कई बार अमीन लाकर उक्त जमीन को सीमांकित कर पीलर देने का कोशिश किया गया, लेकिन विपक्षीयों के विरोध के कारण संभव नहीं हो सका और विवाद बढ़ता ही गया। आवेदक ने अनुरोध किया है कि किसी सक्षम पदाधिकारी अथवा स्वंय की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि आवेदक एवं विपक्षीयों के बीच बँटवारा कर सीमांकन कर सीमा पर पीलर गड़वा दिया जाय। विपक्षीयों में विपक्षी देवनारायण साहु का कहना है कि आवेदक का वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत नहीं है तथा यह वाद limitation law से barred है। ये दरभंगा में रह कर कम्पाउण्ड्री करते है तथा अपनी हिस्से की भूमि को बटाई पर दे दिए है, अतएव आवेदक का यह कहना कि प्रश्नगत भूमि के आर को छेड़छाड़ कर नष्ट कर दिया गया है कथन गलत है। इन्होने इस वाद में proper आदेश पारित करने का अनुरोध किया है। अन्य विपक्षीयों द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर पत्र सह आपत्ति पत्र में कहा गया है कि आवेदक का यह कहना कि विपक्षीगण पूर्व में दिये गये मेढ़ को नष्ट कर दिया है तथा कोई ज्यादा तो कोई कम भूमि को जोत–आवाद करते हैं यह बात पूर्णतः असत्य है। बल्कि इनका यह कहना है कि पिता के समय में किए गए बँटवारा तथा दिये गये मेढ़ स्थल पर आज भी अवस्थित है जिस अनूरूप सभी भाईयों को समान भूमि पर दखल–कब्जा है। इन विपक्षीयों का कहना है कि आवेदक की नियत में खोट आ गई है तथा वह अन्य भाईयों से अधिक हिस्सा लेना चाहते हैं इसलिए गलत तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा दाखिल कर दिया है। विपक्षीयों ने आवेदक के वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।	17/08/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	पक्षकारों को सुनने से विदित होता है कि जिस आधार पर आवेदक ने यह वाद प्रस्तुत किया है वह भूमि खतियानी भूमि का अंश हैं। आवेदक के पिता के नाम खाता नं0– 730 में कुल 23 खेसरा है, जबकि आवेदक ने 23 खेसरा के विरूद्ध मात्र चार खेसरा के बँटवारा एवं सीमांकन कराकर पीलर गाड़ने का अनुरोध किया है, शेष खेसरा की स्थिति के संबंध में कुछ नहीं कहा है जिससे उभय पक्षों के बीच पैतृक सम्पत्ति के बँटवारा का मामला स्पष्ट नहीं बनता हैं। जबकि सुनने से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष अपने पिता के द्वारा दिए गए हिस्से की जमीन पर आर–मेढ़ देकर सुविधानुसार उपयोग करते हैं तथा आवेदक का विपक्षीयों के विरूद्ध मेंढ़ को नष्ट करने का आरोप गलत है। इस प्रकार केवल लड़ाई झगड़ा होने की संभावना व्यक्त किये जाने के आधार पर आवेदक का वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अन्तर्गत Maintainable नहीं होना स्वतः स्पष्ट है। अर्थात आवेदक का वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 अन्तर्गत Maintain किए जाने के निमित वाद पत्र में कोई भी ठोस ingredients (आवश्यक तत्व) उपलब्ध नहीं है। अतएव आवेदक के अनुरोध को स्वीकृत करने में बैधानिक दृष्टिकोण से कठिनाई होने के कारण वाद पत्र को अस्वीकृत किया जाना ही समिचिन प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं के विवेचनोपरान्त वाद पत्र में B.L.D.R–Act-2009 के निमित्त ingredients (आवश्यक तत्व) की अनुपलब्धता की स्थिति में आवेदक के वाद को खारिज किया जाता है। अभिलेख संचिकास्त करें। यदि आवेदक चाहें तो अपने पैतृक सम्पत्ति के बँटवारे के लिए एंव अपने Grievance के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। **लेखापित एव शुद्धित** 17/08/13 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 17/08/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	